

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
03 09 2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक चोकरो देवगम, पिता/पति-स्व० गोसा देवगम, ग्राम-दुम्बीसाई, थाना-मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-दुम्बीसाई, थाना नं०-643, खाता नं०-10, प्लॉट नं०-361, रकवा- 0.05 एकड़ भूमि क्रेता आभा रानी सावैर्यो, पिता/पति- नारायण सिंह जामुदा, ग्राम-बड़ालागिया, थाना-मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक पिता के नाम से हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 653,दिनांक 01.09.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण एवं अन्य खर्च हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता आभा रानी सावैर्यो, पिता/पति-नारायण सिंह जामुदा, ग्राम-बड़ालागिया, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास विक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ईलाका मानकी का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में आवेदक चोकरो देवगम, पिता/पति-स्व० गोसा देवगम, ग्राम-दुम्बीसाई,थाना- मुफ्फसिल, जिला पं० सिंहभूम ने क्रेता आभा रानी सावैर्यो, पिता/पति- नारायण सिंह जामुदा, ग्राम-बड़ालागिया, थाना- मुफ्फसिल, जिला पं० सिंहभूम के पास 4,00,000.00 (चार लाख) रूपया में मौजा- दुम्बीसाई, थाना नं०-643, खाता नं०-10, प्लॉट नं०-361, रकवा- 0.05 एकड़ भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।</p> <p>लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p>03/09/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा</p>	